न्यायालय सहायक कलक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी आसीन्द
बाईजलास श्री सी.एल.शर्मा (आर.ए.एस.)

मैन्यूअल प्रकरण संख्या	22/2021
वाद दायर दिनांक	23.03.2021
वाद निर्णय दिनांक	13.08.2021

उनवान

(1) सुशीला पत्नि गोर्धन गूर्जर नि.सोजी का खेड़ा तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा
(2) सीता पुत्री गोर्धन गूर्जर नि.सोजी का खेड़ा तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा
(3) धापू पत्नि मांगू गूर्जर नि.सोजी का खेड़ा तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा

— वादीगण

बनाम

(1) राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील कार्यालय आसीन्द जिला भीलवाड़ा
(2) श्रीमान जिला कलक्टर महोदय जिला कलक्टर कार्यालय भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

— प्रतिवादीगण

उपस्थित वकील वादीगण	श्री पदमसिंह देथा
उपस्थित वकील प्रतिवादीगण	श्री पैरोकार सरकार

<u>वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 RTA 1955 व धारा 136 LRA 1956</u>

<u>आदेश</u>

(1) वादीगण द्वारा वाद-पत्र माध्यम अधिवक्ता पेश कर संक्षेपतः निवेदन किया है कि निम्नांकित कृषि भूमि साबिक रेकार्ड में वादिया संख्या 1 के ससुर ,वादी संख्या 2 के दादा व वादी संख्या 3 के पति श्री मांगू पि.गोकल गूर्जर को आवन्टित की गयी जिस पर आवन्टिती स्वंय का एंव उनकी मृत्यु पश्चात से वादीगण का कब्जा चला आ रहा है -

ग्राम का नाम	संवत	आ.नं.	कुल रकबा	आवन्टित रकबा
सोजी का खेड़ा	२०४२	२६२/1	८)2	2)

(2) उक्त आवन्टित भूमि में जरिये नामान्तरण संख्या 178 दिनांक 09.09.1985 से आवन्टिती को गैर खातेदार कायम किया गया।

(3) दौराने सेटलमेंट राजस्व कर्मचारियों ने उक्त साबिक आ.नं. २६२/1 में से अलोट शुदा रकबा 2) बीघा भूमि के अलग नम्बर कायम नहीं कर सम्पूर्ण रकबे का नवीन [illegible] जिसमें 0.432 हैक्टर भूमि पर वादीगण के वली का कब्जा व काश्त होते हुये भी वादीगण के [illegible] का [illegible]टन शुदा भूमि को पुनः बिलानाम दर्ज कर दिया जिनका उनको कोई वैधानिक हक व अधिकार नहीं था।

(4) अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि बहक वादीगण [illegible] की खातेदारी की घोषणा एंव [illegible] दुरूस्ती की डिक्री सादिर फरमायी जावें कि राजस्व ग्राम सोजी का खे[illegible] नवीन आ.नं.641 में से रकबा [illegible] हैक्टर भूमि को पुनः वादीगण के नाम खातेदारी हक से दर्ज किया जावे वादीगण को खातेदार घोषित किया जावे तथा राजस्व इन्द्राज को दुरूस्त किया जावें एंव प्रतिवादी संख्या 1 को पाबन्द फरमाया जावे की ऐसे पारित आदेश की पालना में हाल रेकार्ड में अमल –दरामद करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2022.01.13 13:23:42 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर(S.D.O.)
आसीन्द जिला-भीलवाड़ा

(5) प्रस्तुत वादपत्र बाद जांच पत्रावली संख्या 22/2021 पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण के सम्मन बाद तामिल प्राप्त होकर शामिल पत्रावली है। प्रतिवादी की ओर से पैरोकार सरकार ने जवाब प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया।

वकील वादीगण की इस्तदुआ पर वकील वादीगण एंव पैरोकार सरकार की बहस सुनी गयी। वकील वादीगण ने वक्त बहस वाद पत्र में अंकित तथ्यो को पुनः दोहराते हुये निवेदन किया कि आवन्टिती के वारिसान को आवन्टित भूमि में खातेदारी हक से दर्ज करने की घोषणात्मक डिक्री पारित किया जाना न्यायसंगत है। पैरोकार सरकार ने वक्त बहस कथन किया कि वादीगण द्वारा सेटलमेन्ट के दौरान कोई चाराजोही /उजर / एतराज दर्ज नहीं किया है। मौके पर कब्जे बाबत् कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये है। दावा खारिज योग्य है।

(6) वादग्रस्त भूमि ग्राम सोजी का खेड़ा के हाल आ.नं.641 रकबा 1.57 हैक्टर भूमि की मौका रिपोर्ट भू.अ.निरीक्षक लाछूड़ा से तलब की जाकर शामिल मिसल की गयी।

(7) बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी व पैरोकार सरकार पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात /मौका रिपोर्ट भू.अ.निरीक्षक लाछुड़ा का अध्ययन किया गया। पत्रावली के अवलोकन पर जाहिर आया कि वादीगण के वली को गत भूप्रबन्ध में ग्राम सोजी का खेड़ा में आ.नं.262/1 रकबा ८)2 भूमि में से रकबा 2) भूमि आवन्टित की गयी थी जो वक्त सैटलमेंट कार्यवाही बिना किसी विधिक अधिकार के पुनः बिलानाम दर्ज किया जाना प्रतीत होता है। संलग्न मिलान क्षैत्रफल के अनुसार साबिक आ.नं.262/1 रकबा ८)2 के नये आराजी नम्बर 641 रकबा 1.57 बना है। ग्राम सोजी का खेड़ा के नवीन आ.नं.641 रकबा 1.57 हैक्टर मेंसे रकबा 0.43 हैक्टर भूमि वादी संख्या 1 से 3 के नाम दर्ज किया जाना न्यायाहित में न्यायालय को उचित प्रतीत होता है।

–:क्रियात्मक निर्णय :–

अतः वादीगण द्वारा माध्यम अधिवक्ता प्रस्तुत वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88RTA 1955 व धारा 136 LRA 1956 स्वीकार किया जाकर दावा वादीगण डिक्री किया जाकर निम्नाकिंत कृषि भूमि मे वादीगण को खातेदार घोषित किया जाता है –

क्र.सं.	नाम ग्राम	खातेदार का विवरण	आ.नं.	रकबा	वि.वि.
1	सोजी का खेड़ा	सुशीला पत्नि गोर्धन 1/3 सीता पुत्री गोर्धन ना.बा.ब.बि.माता सुशीला पत्नि गोर्धन 1/3 धापू पत्नि मांगू 1/3 गूर्जर सा.देह खातेदार	641	1.57 में से 0.43	मौका रिपोर्ट भू.अ.निरीक्षक लाछूड़ा में दर्शित प्रार्थीगण की कब्जा शुदा भूमि में से नियमानुसार सड़क सीमा की भूमि को छोड़ते हुये तरमीम की जावे।

तदनुसार राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज किया जावे। डिक्री पर्चा मुर्तिब हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे तथा दाखिल दफ्तर करें। निर्णय आज दिनांक 12.01.2022 को खुले इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2022.01.13 13:23:42 IST
Reason: SelfAttested

(सी.एल.शर्मा)
सहायक कलेक्टर(S.D.O.)
आसीन्द जिला-भीलवाड़ा

मूल वाद मे डिकी

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी आसीन्द
बईजलास श्री सी.एल.शर्मा (आर.ए.एस.)

मेन्यूअल प्रकरण संख्या	22/2021
प्रकरण दर्ज होने की दिनांक	23.03.2021
प्रकरण निर्णित होने की दिनांक	13.08.2021

उनवान

(1) सुशीला पत्नि गोर्धन गूर्जर नि.सोजी का खेड़ा तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा
(2) सीता पुत्री गोर्धन गूर्जर नि.सोजी का खेड़ा तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा
(3) धापू पत्नि मांगू गूर्जर नि.सोजी का खेड़ा तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा

— वादीगण

बनाम

(1) राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील कार्यालय आसीन्द जिला भीलवाड़ा
(2) श्रीमान जिला कलक्टर महोदय जिला कलक्टर कार्यालय भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

— प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,काश्तकारी अधिनियम 1955 व धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री पदमसिंह देथा तथा प्रतिवादीगण की ओर से पैरोकार सरकार की उपस्थिति में इस वाद-पत्र के आज तारीख 13.08.2021 को अदालत के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश किया जाता है और अन्तिम डिक्री दी जाती है कि – दावा वादीगण डिक्री किया जाकर निम्नाकिंत कृषि भूमि मे वादीगण को खातेदार घोषित किया जाता है –

.सं.	नाम ग्राम	खातेदार का विवरण	आ.नं.	रकबा	वि.वि.
	सोजी का खेड़ा	सुशीला पत्नि गोर्धन 1/3 सीता पुत्री गोर्धन ना.बा.ब.बि.माता सुशीला पत्नि गोर्धन 1/3 धापू पत्नि मांगू 1/3 गूर्जर सा.देह खातेदार	641	1.57 में से 0.43	मौका रिपोर्ट भू.अ.निरीक्षक लाछूड़ा में दर्शित प्रार्थीगण की कब्जा शुदा भूमि में से नियमानुसार सड़क सीमा की भूमि को छोड़ते हुये तरमीम की जावे।

तदनुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावें।

इस वाद के खर्चे लेखे ---××××--- रुपये की राशि आज तारीख से वसूली तारीख तक उस पर ---××××---प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित ---××××---द्वारा ---××××---वादी को दिया जावे।

यह आज तारीख –13.08.2021--- को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय मुद्रा से जारी की गयी।

सहायक कलक्टर(S.D.O.)
आसीन्द जिला-भीलवाडा

वाद के खर्चे

वदी	रूपये	पैसे	प्रतिवादी	रूपये	पैसे
1. वाद–पत्र के लिए स्टाम्प	6		शक्ति–पत्र के लिए स्टाम्प		
2.शक्ति–पत्र के लिए स्टाम्प	1		अर्जी के लिए स्टाम्प		
3.प्रदर्शों के लिए स्टाम्प	10		प्लीडर की फीस	–	
4.रूपये पर प्लीडर की फीस	–		सक्षियों के लिए निर्वाह	–	
5.साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	–		आदेशिका की तामील	–	
6. कमिश्नर की फीस (तलवाना)	1		कमिश्नर की फीस	–	
7. आदेशिका की तामील	–			–	
योग	18		योग	–	

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2022.01.13 13:23:42 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर(S.D.O.)
आसीन्द जिला-भीलवाडा